रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264900
CG-DL-E-23072025-264900

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947	
No. 440]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947	

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विनियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे1

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विनियम, 2006 (जिसे इसमे उक्त विनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), में विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "4. अधिकारिता.- (1) रजिस्ट्रार की अधिकारिता वह होगी जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए और जिसकी सहायता संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, उप निदेशक (प्रशासन), लेखाकार और अन्य तकनीकी, विधिक सलाहकार, वित्तीय और प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।"

3. उक्त विनियम में, विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा।-

   "5. रजिस्ट्रारों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।- (1) रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रारों की पदावधि, अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुरूप होंगी।

5 क. प्रारंभिक गठन- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को नियमित आधार पर धारण करने वाले कार्मिकों को इन विनियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व संबंधित श्रेणी में उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट कार्मिकों की नियमित निरंतर सेवा की, सेवा में परिवीक्षा अवधि और प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा और पेंशन के लिए गणना की जाएगी । "

4. उक्त विनियम में, प्रारूप 1 क के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रजिस्ट्रार	03 (2025)	समूह 'क' अराजपत्रित	स्तर -13 (123100-215900 रुपये)	लागू नहीं होता ।	पचास वर्ष से अनधिक

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों या प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
<u>आवश्यक:</u> (i) आनुवंशिकी और पादप प्रजनन या आनुवंशिकी या कृषि वनस्पति विज्ञान या बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी या बीज प्रौद्योगिकी या पादप आनुवंशिकी संसाधन में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री या पादप प्रजनन और आनुवंशिकी में विशेषज्ञता के साथ वानिकी या बागवानी या पादप जैव प्रौद्योगिकी या पादप आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। (ii) कृषि विज्ञान या बीज विकास के क्रियाकलापों में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव किस्म सुधार या बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में आवश्यक है।	स्तंभ (11) के अनुसार	एक वर्ष	प्रोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा।

वांछनीय: बीज विकास कार्यक्रम या बौद्धिक संपदा अधिकार और पौध किस्म सुधार के क्रियाकलापों या वृक्ष सुधार में तीन वर्ष के अनुसंधान अनुभव के साथ डॉक्टरेट की डिग्री।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति या चयन समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) संयुक्त रजिस्ट्रार जिसने वेतन स्तर-12 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) जिसने वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-12 में संयुक्त रजिस्ट्रार और वेतन स्तर-11 में उप रजिस्ट्रार की श्रेणी में दस वर्ष की संयुक्त सेवा की हो, जिसमें से संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं रखता हो: आनुवंशिकी और पादप प्रजनन या आनुवंशिकी या कृषि वनस्पति विज्ञान या बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी या बीज प्रौद्योगिकी या पादप आनुवंशिकी संसाधन में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री या पादप प्रजनन और आनुवंशिकी में विशेषज्ञता के साथ वानिकी या बागवानी या पादप जैव प्रौद्योगिकी या पादप आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। टिप्पणी 1: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ऐसे अधिकारी, जिनकी आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक न हो। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) महारजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए - अध्यक्ष; (2) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद न हो - सदस्य; (3) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले ऐसे दो विशेषज्ञ, जो वेतन स्तर-14 में संयुक्त सचिव के पद से नीचे पद पर न हो - सदस्य	लागू नहीं होता ।

अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी सम्मिलित है, सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त रजिस्ट्रार।	2 (2025)	समूह 'क' अराजपत्रित	स्तर-12 (78800-209200 रुपये)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उप रजिस्ट्रार। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सुसंगत क्षेत्र में सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिसने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद सुसंगत क्षेत्र में प्रदान की गई श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) सुसंगत वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद सुसंगत क्षेत्र में प्रदान की गई श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं रखता हो: आनुवंशिकी और पादप प्रजनन या आनुवंशिकी या कृषि वनस्पति विज्ञान या बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी या बीज प्रौद्योगिकी या पादप आनुवंशिकी संसाधन में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री या पादप प्रजनन और आनुवंशिकी में विशेषज्ञता के साथ वानिकी या बागवानी या पादप जैव प्रौद्योगिकी या पादप आण्विक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। नोट 1: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ऐसे अधिकारी, जिनकी आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक न हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) महारजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए - अध्यक्ष; (2) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद न हो - सदस्य; (3) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले ऐसे दो विशेषज्ञ, जो वेतन स्तर-14 में संयुक्त सचिव के पद से नीचे पद पर न हो - सदस्य	लागू नहीं होता ।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी सम्मिलित है, सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप रजिस्ट्रार	03 (2025)	समूह 'क' अराजपत्रित	स्तर-11 (रु. 67700-208700)	लागू नहीं होता ।	पैंतालीस वर्ष से अनधिक। नोट 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नोट 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : पादप प्रजनन और आनुवंशिकी या आनुवंशिकी या कृषि वनस्पति विज्ञान या बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या वानिकी या बागवानी या पादप जैव प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री। अनुभव: सुसंगत क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय: बीज विकास कार्यक्रम या बौद्धिक संपदा अधिकार और पादप विविधता सुधार क्रियाकलापों या वृक्ष सुधार में अनुसंधान संबंधी अनुभव के साथ डॉक्टरेट की डिग्री।	स्तंभ (11) के अनुसार	दो वर्ष	(क) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। नोट: सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: पौधा किस्म परीक्षक, जिसने वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या	विभागीय प्रोन्नति या चयन या स्थायीकरण समिति (प्रोन्नति या चयन और स्थायीकरण पर विचार करने वाली) – (1) महारजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिसने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) जो, स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखता हो। नोट 1: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ऐसे अधिकारी, जिनकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक न हो। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी सम्मिलित है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(2) अध्यक्ष, पीपीवीएफआरए द्वारा नामित किया जाने वाला ऐसे अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का ना हो - सदस्य; (3) अध्यक्ष, पीपीवीएफआरए द्वारा नामित किये जाने वाला ऐसे दो विशेषज्ञ, जो वेतन स्तर-14 में संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो - सदस्य।	

[फा.सं. 14012/1/2023-SD-V]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 740 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 496 (अ) तारीख 15 जून, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2025

G.S.R. 483(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Regulations, 2006, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Regulations, 2006 (herein referred as said regulation), for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:-

"4. Jurisdiction.- (1) The jurisdiction of the Registrar shall be such as may be determined by the Authority from time to time and shall be assisted by the Joint Registrar, Deputy Registrar, Deputy Director (Administration), Accountant and other technical, legal advisor, financial and administrative staff.".

3. In the said regulation, for regulation 5, the following regulations shall be substituted.-

"5. The term of office and the conditions of service of the Registrars.- (1) The term of office, qualifications, experience and conditions of service of the Registrars, Joint Registrars and Deputy Registrars shall be as per provisions specified in the Schedule annexed to these regulations.

5A. Initial constitution.- (1) Personnel holding the posts specified in column (1) of the Schedule, immediately before the commencement of these regulations on a regular basis, shall be deemed to have been appointed under the provisions of these regulations.

(2) The regular continuous service of personnel referred to in sub-regulation (1) in the respective grade immediately before the commencement of these regulations, shall count for the probation period and qualifying service for promotion, confirmation, and pension in the service.".

4. In the said regulation, after Form 1A, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for Direct Recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Registrar.	03 (2025).	Group 'A' Non-Gazetted.	Level-13 (Rs. 123100-215900)	Not applicable.	Not exceeding fifty years

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputations.	Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master Degree in Agriculture with specialisation in Genetics and Plant Breeding or Genetics or Agricultural Botany or Seed Science and Technology or Seed Technology or Plant Genetics Resources or Master Degree in Forestry or Horticulture or Plant Biotechnology or Plant Molecular Biology and Biotechnology with specialization in Plant Breeding and Genetics. (ii) Fifteen years of experience in Agricultural science or Seed Development activities, out of which at	As per column (11).	One year.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).

least 3 years experience is required in the field of Varietal Improvement or Intellectual Property Rights. Desirable: Doctorate degree with three years of research experience in Seed Development Program or Intellectual Property Rights and Plant Varietal Improvement activities or Tree Improvement.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Department Promotion Committee or Selection Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Joint Registrar having five years of regular service in the Pay Level-12; or (ii) ten years of combined service in the grade of Joint Registrar in pay level-12 and Deputy Registrar in pay level-11 in the pay matrix, out of which a minimum of three years of regular service in the grade of Joint Registrar. Deputation: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) having five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification as under: Master Degree in Agriculture with specialization in Genetics and Plant Breeding or Genetics or Agricultural Botany or Seed Science and Technology or Seed Technology or Plant Genetics Resources or Master Degree in Forestry or Horticulture or Plant Biotechnology or Plant Molecular Biology and Biotechnology with specialization in Plant Breeding and Genetics. Note 1: Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Statutory or Autonomous Organizations or Indian Council of Agricultural Research not exceeding fifty-six years of age on the closing date of the receipt of the application. Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department shall ordinarily not exceed five years.	Departmental Promotion Committee consisting of (for considering promotion):- (1) Registrar-General, PPVFRA - Chairman; (2) An Officer, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India to be nominated by Chairperson, PPVFRA -Member; (3) Two experts not below the rank of Joint Secretary in pay level-14 to be nominated by Chairperson, PPVFRA - Members.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Registrar.	2 (2025).	Group 'A' Non- Gazetted.	Level-12 (Rs. 78800-209200)	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Registrars with five years of regular service in pay level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix. Deputation: Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Statutory or Autonomous Organizations or Indian Council of Agricultural Research: (a) (i) holding analogous post in the relevant field on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of service in the grade rendered in the relevant field after appointment thereto on a regular basis in the pay level-11 (Rs. 67700-208700) of pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years of service in grade rendered in relevant field after appointment thereto on a regular basis in the pay level- 10 (Rs. 56100-177500) of pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications as under: Master Degree in Agriculture with specialization in Genetics and Plant Breeding or Genetics or Agricultural Botany or Seed Science and Technology or Seed Technology or Plant Genetics Resources or Master Degree in Forestry or Horticulture or Plant Biotechnology or Plant Molecular Biology and Biotechnology with specialization in Plant Breeding and Genetics. Note 1: Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Statutory or Autonomous Organizations or Indian Council of Agricultural Research not exceeding fifty-six years of age on the closing date of the receipt of the application. Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed five years.	Departmental Promotion Committee consisting of :- (1) Registrar- General, PPVFRA - Chairman; (2) An Officer, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India to be nominated by Chairperson, PPVFRA - Member; (3) Two experts not below the rank of Joint Secretary in pay level-14 to be nominated by Chairperson, PPVFRA - Members.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Registrar.	03 (2025).	Group 'A' Non-Gazetted.	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Not applicable	Not exceeding forty-five years. Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Jammu and Kashmir.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master Degree in Agriculture with specialization in Plant Breeding and Genetics or Genetics or Agricultural Botany or Seed Science and Technology or Forestry or Horticulture or Plant Biotechnology with specialization in Plant Breeding and Genetics. Experience: Ten years experience in relevant field. Desirable: Doctorate degree with research experience in seed Development Programme or Intellectual Property Rights and Plant Varietal Improvement activities or Tree Improvement.	As per column (11).	Two years	(a) Sixty-seven per cent by promotion failing which by deputation. (b) Thirty-three per cent by direct recruitment. Note: Vacancies caused under direct recruitment quota by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Plant Variety Examiner having nine years of regular service in pay level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix. Deputation: Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Statutory or Autonomous Organizations or Indian Council of Agricultural Research: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of service in the grade rendered in the relevant field after appointment thereto on a regular basis in the pay level-10 (Rs. 56100-177500) of pay matrix; or (iii) with eight years of service in the grade rendered in the relevant field after appointment thereto on a regular basis in pay level- 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualification specified in Column (7) Note 1: Officers under the Central or State Governments	Departmental Promotion or Selection or Confirmation Committee consisting of (considering for promotion or selection and confirmation):- (1) Registrar- General, PPVFRA - Chairman; (2) An Officer, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India to be nominated by Chairperson, PPVFRA - Member; (3) Two experts not below the rank of Joint Secretary in pay level-14 to be nominated by Chairperson, PPVFRA - Members.	Not applicable

or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Statutory or Autonomous Organizations or Indian Council of Agricultural Research not exceeding fifty-six years of age on the closing date of the receipt of the application. Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		

[F. No. 14012/1/2023-SD-V]
AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 740 (E), dated the 7th December, 2006 and were last amended vide G.S.R. 496 (E) dated 15th June 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.23 12:08:42 +05'30'